



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या

3/2020-21

दिनांक 22-12-2020

आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 18-01-2021 आनलाइन आवेदन SUBMIT किये जाने की अन्तिम तिथि : 22-01-2021

आवश्यक: (1) "अपूर्ण आन-लाइन आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।"

(2) "किसी भी स्तर पर परीक्षणों परान्त यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है, तो उसका अध्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयनों से उसे डिबार किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।"

विशेष सूचना :- (क) 'बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थीयों द्वारा शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद किसी बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित परीक्षा शुल्क से कम अथवा अधिक जमा की गयी धनराशि भी किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।' (ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थीयों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नम्बर देना होगा। जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नम्बर पर आयोग द्वारा भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा दिये जायेंगे।

आन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थीयों के लिये

आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की [Website http://uppsc.up.nic.in](http://uppsc.up.nic.in) पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु "आन-लाइन आवेदन पद्धति" (**ON-LINE APPLICATION SYSTEM**) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें।

"आन-लाइन आवेदन" करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थीयों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

1-आयोग की <http://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं—

- (i) User Instructions
- (ii) View Advertisement
- (iii) Apply

उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें "आनलाइन आवेदन पद्धति" लागू है। User Instruction में अभ्यर्थीयों को आन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आन-लाइन आवेदन हेतु "APPLY" पर Click करें।

"आन-लाइन आवेदन" करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा—

प्रथम चरण - APPLY Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Candidate Registration' प्रदर्शित होगा तथा 'Candidate Registration' Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गयी सूचनाओं को भली भाँति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो 'Click here to modify' पर क्लिक करें। भरी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात 'Submit Application' पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात 'Print Registration Slip' प्रदर्शित होगी, जिस पर Click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

द्वितीय चरण- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर 'Click here to proceed for payment' कैप्सन के साथ 'Fees to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्सन पर क्लिक करने के पश्चात स्टेट बैंक 'MOPS (Multi option payment system)' का Home page प्रदर्शित होगा। जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे।

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODS. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात Payment Acknowledgement Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट 'Print Payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

तृतीय चरण- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात 'Proceed for final submission of application form (Part-2)' पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनायें भरनी होंगी तथा

फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवश्यक (Chest) तक होनी चाहिए। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आन लाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गयी है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद "PREVIEW" को click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गयी हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु "Submit" बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही-सही निर्देशानुसार आन-लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित परीक्षा शुल्क से कम अथवा अधिक जमा की गयी धनराशि भी किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।' (ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थीयों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नम्बर देना होगा। जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नम्बर पर आयोग द्वारा भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा दिये जायेंगे।

2- आवेदन शुल्क : आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। श्रेणीवार निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। "Submit" बटन को Click करने के पश्चात आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2- आवेदन शुल्क : आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। श्रेणीवार निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। "Submit" बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा "Submit" बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "Submit" बटन को Click करने के पश्चात आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3- अनुसूचित जाति : 1-अनारक्षित (सामान्य) – परीक्षा शुल्क ₹ 80/- – आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- – योग कुल ₹ 105/-
 2-अन्य पिछड़ा वर्ग – परीक्षा शुल्क ₹ 80/- – आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- – योग कुल ₹ 105/-
 3-अनुसूचित जाति – परीक्षा शुल्क ₹ 40/- – आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- – योग कुल ₹ 65/-
 4-अनुसूचित जनजाति – परीक्षा शुल्क ₹ 40/- – आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- – योग कुल ₹ 65/-
 5-विकलांग श्रेणी – परीक्षा शुल्क NIL + आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- – योग कुल ₹ 25/-
 6-स्वतंत्रा संघ्राम सेनानी के आश्रित – क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार – परीक्षा शुल्क ₹ 40/- – आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- – योग कुल ₹ 65/-
 7- भूतपूर्व सैनिक – परीक्षा शुल्क ₹ 40/- – आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- – योग कुल ₹ 65/-
 8- महिला – क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार – परीक्षा शुल्क ₹ 40/- – आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- – योग कुल ₹ 65/-
 3- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों/परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डालमक कार्यवाही की जा सकती है।
 4- सबमिट (Submit) किये गये आवेदन में संशोधन:- आनलाइन आवेदन Submit करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को Submit किये जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, Registered Mobile Number, E-mail ID, श्रेणी, उपश्रेणी एवं सामान्य निवास (Domicile) को छोड़कर (इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की निर्धारित अन्तिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु अभ्यर्थीयों को एक अवसर अनुमत्य है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

"अभ्यर्थी को Candidate Segment में 'Online application process' के अन्तर्गत 'Modify Submitted Application' को क्लिक (Click) करना होगा, Click करने के पश्चात "Candidate Personal Details" Screen प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नं., जन्मतिथि (Date of Birth), लिंग (Gender), निवास (Domicile) तथा श्रेणी (Category) भरनी होगी तत्पश्चात Verification Code अंकित करने के बाद Proceed Button क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात 'Authentication through' में तीन विकल्प प्रदर्शित होंगे, यथा Registered Mobile, Registered e-mail ID तथा OTP (One Time Password) उक्त तीनों विकल्पों में से अभ्यर्थी द्वारा जिस विकल्प पर हेतु चयन किया जाता है, उससे सम्बन्धित सूचना अंकित करने हेतु Option Box प्रदर्शित होगा, जिसमें वांछित सूचना

चिकित्सा शिक्षा विभाग, ३०प्र० (एलोपैथी)

०१ (एक) पद, प्रधानाचार्य (एलोपैथी) (सामान्य चयन), पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थाई, विभाग संख्या सेवा-८/६०, आरक्षण- अनारक्षित, वेतनमान- एकेडमिक लेवल-१४, प्रारम्भिक वेतन रु० १,४४,२००/-, अनिवार्य अर्हताएं- (१) एम०डी०/एम०एस० या एम०सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हता। (२) किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में आचार्य/सहायाचार्य/रीडर के रूप में कम से कम १० वर्ष का अध्यापन अनुभव, जिसमें से कम से कम ०५ वर्ष आचार्य के रूप में होना आवश्यक है। अधिमानी अर्हता- किसी मेडिकल कालेज में विभागाध्यक्ष के रूप में अथवा किसी चिकित्सा संस्थान में हेड के रूप में प्रशासनिक अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा। आयुसीमा- न्यूनतम ५० वर्ष तथा अधिकतम ६२ वर्ष। किसी प्रकार के प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी अपितु अभ्यर्थी को उसके एवज में शासनादेश के अनुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा। नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थी को जनहित में ३०प्र० के किसी भी राजकीय मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा। नोट- अनिवार्य अर्हता की मान्यता एम.सी.आई. से रिक्मानाइज़ होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ३०प्र०

(i) ०१ (एक) पद, सहायक समाजशास्त्री (सामान्य चयन), आरक्षण- अनारक्षित, पद का स्वरूप- राजपत्रित/स्थायी, वेतनमान- मैट्रिक्स लेवल-७ रु० ४४९००-१४२४००, विभाग संख्या- एस-१०/४, पैशन- नई पैशन योजना-२००५ के अनुसार, अर्हताएं- अनिवार्य- समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य (सोशल वर्क्स) में प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और सामाजिक कार्य में २ वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। टिप्पणी- उच्च द्वितीय श्रेणी कुल योग के ५५ प्रतिशत से अधिक अंक से होगी। अधिमानी- ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयुसीमा- २१ से ४० वर्ष, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में नियमानुसार छूट।

(ii) ०१ (एक) पद, सहायक वास्तुविद नियोजक (सामान्य चयन), आरक्षण- पद ३०प्र० के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित, वेतनमान- वेतनमान बैंड-३, रु० १५६००-३९१००, ग्रेड वेतन- रु० ५४००/-, वेतन मैट्रिक्स लेवल-१०, पद का स्वरूप- राजपत्रित/स्थाई, पैशन- नई पैशन योजना २००५ के अनुसार, विभाग संख्या- एस-१०/५, अनिवार्य अर्हताएं- १. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आर्कटेक्चर अथवा सिविल इंजीनीय में हिस्सी। २. टाउन एण्ड कन्सर्वी/रीजनल प्लानिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिग्री अथवा डिप्लोमा अथवा निम्नलिखित संस्थाओं में से कम से कम एक संस्था की सदस्यता :- (क) इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स (इपिड्या) (ख) इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स (अमेरिका) (ग) इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स (लन्दन)। अधिमानी अर्हताएं- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने, (१) प्रादेशिक सेना में २ वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो (२) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु सीमा- २१ से ४० वर्ष, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में नियमानुसार छूट।

३०प्र० आयुष (यूनानी) विभाग

प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों में निम्नलिखित पदों हेतु चयन, (सामान्य चयन), पद का स्वरूप- राजपत्रित/स्थायी, आरक्षण- सभी पद अनारक्षित हैं, वेतनमान- लेवल-१० (सातवें वेतन आयोग के अनुसार) रु० ५६१००-१७७५०० :-

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	विभाग संख्या
१	प्रवक्ता मोआलेजात	०३	सेवा-११/१३
२	प्रवक्ता कृषिलयात	०१	सेवा-११/१४

शैक्षिक अर्हताएं- (क) अनिवार्य- (१) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य/बोर्ड या संकाय, जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, १९३९ के अधीन रजिस्ट्री किये जाने यायें हैं, से यूनानी में पांच वर्ष की उपाधि। (२) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता। (३) हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी का कार्यसाधारण ज्ञान। (ख) अधिमानी- शोध कार्य और मौलिक-पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। अधिमानी अर्हताएं- ऐसे अभ्यर्थी जिसने, (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। आयु- न्यूनतम २५ वर्ष, अधिकतम ४० वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार)। अन्य शर्त एवं अर्हता- नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थियों को प्रदेश के किसी भी राजकीय यूनानी कालेज में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। नोट:- (१) ३०प्र० सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पैशन योजना अनुमन्य होगी। (२) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांकों तथा पूर्णांकों का उल्लेख आन लाइन आवेदन में करें तथा अभिलेख की मांग के समय सभी अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। (३) अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-३ हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी के कार्यसाधारण ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे।

सामान्य अनुदेश

आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की

अन्तिम तिथि : १८-०१-२०२१

आनलाइन आवेदन Submit किये जाने की

अन्तिम तिथि : २२-०१-२०२१

- अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अर्ह हों।
- अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।
- हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है।

- आयु गणना की निश्चायक तिथि (जहाँ अन्यथा उल्लिखित न हो) ०१ जुलाई, २०२० है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, उ०प्र० के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के उत्तर प्रदेश राज्य के पदों हेतु तथा उ०प्र० राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में ०५ वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (यह छूट केवल उ०प्र० के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी)। इसी प्रकार उ०प्र० वेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उ०प्र० राज्य सरकार के कर्मचारियों की भाँति शासनादेश संख्या-१६४८/७९-५-२०१५, दिनांक १९ जून, २०१५ के प्राविधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में ०५ वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। आवेदन प्राप्ति की अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आवश्यक होते हैं, को उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर १० प्रतिशत का आरक्षण नियमानुसार देय होगा।
- आवेदन आयोग में प्राप्त होने के पश्चात धारित अर्हताओं, तथा श्रेणी में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिये आहूत किये जाने अथवा चयन के लिये अधिकार नहीं प्रदान करता। साक्षात्कार की सूचना बाद में भेजी जायेगी।
- पद/पदों के लिये आवेदकों की संख्या/अधिक होने पर आयोग निर्दान परीक्षा (Screening Test) आयोजित कर सकते हैं जिसकी सूचना यथा समय दी जायेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट (वर्स्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिये दण्ड (निगेटिव मार्किंग) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी।
 - (I) प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का १/३ (०.३३) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।
 - (II) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।
 - (III) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया ज

<p>This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/department name and post name</p> <p>Personnel Details</p> <p>This section shows information about candidate personnel details i.e. Registration Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number.</p> <p>Other Details of candidate</p> <p>Other details of candidate shows the information details about UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges</p> <p>Education & Experience Details</p> <p>It shows your educational and experience details</p> <p>Candidate address, photo & signature details</p> <p>Here you will see your complete communication address and photo with your signature.</p> <p>Declaration segment</p> <p>At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.</p> <p>After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.</p> <p>Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned on entry time if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.</p> <p>Otherwise using "Back" button option you can modify your details.</p> <p>[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]</p> <p>For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website http://uppsc.up.nic.in in CANDIDATE SEGMENT</p> <p>CANDIDATE SEGMENT</p> <p>-NOTIFICATIONS / ADVTS.</p> <p>All Notification / Advertisements</p> <p>-ONLINE FORM SUBMISSION</p> <p>1. Candidate Registration 2. Fee Deposition /Reconciliation 3. Submit Application Form</p> <p>-APPLICATION FORM STATUS</p> <p>Update your transaction ID by Double Verification mode View Application Status List of Applications Having photo related Objections Print Duplicate Registration Slip Print Detailed Application Form</p> <p>-EXAMINATION SEGMENT</p> <p>Print Address Slip for sending documents to Commission [Only for Direct Recruitment]</p> <p>-DOWNLOAD SEGMENT</p> <p>Download Document of Verification for this Examination Download Admit Card Download Interview Letter : After Examination Download Interview Letter : Direct Recruitment Download Syllabus Know your Registration No. Click here to view Key Answer Sheet Latest Tenders</p> <p>LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.</p> <p>Appendix-1</p> <p>The Procedure relating to upload Photo & Signature.</p> <p>Guide Lines for Scanning Photograph with Signature</p> <ol style="list-style-type: none"> Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box. Scan the above required size containing photograph 	<p>and signature. Please do not scan the complete page.</p> <ol style="list-style-type: none"> The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in * .jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on local machine. Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB. If the size of the file is more than 50 KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, colours etc., during the process of scanning. The applicant has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine, and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted. The signature must be signed only by the applicant and not by any other person. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified. <p>Sample Image & Signature :-</p> <p>परिशिष्ट</p> <p>उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण—पत्र (प्रारूप-II)</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला .. उत्तर प्रदेश राज्य की</p> <p>जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।</p> <p>श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।</p> <p>स्थान हस्ताक्षर..... दिनांक पूरा नाम..... मुहर पद नाम.....</p> <p>जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।</p> <p>उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण—पत्र (प्रारूप-I) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।</p> <p>यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—दो जैसा कि उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।</p> <p>श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।</p> <p>स्थान हस्ताक्षर..... दिनांक पूरा नाम..... मुहर पद नाम.....</p> <p>जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।</p>	<p>NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL</p> <p>ANNEXURE</p> <p>Certificate No. Date</p> <p>DISABILITY CERTIFICATE</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">Recent photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board</p> </div> <p>This is to certified that Shri/Smt/Kum..... son/wife/daughter of Shriage..... Sex identification mark(c) is suffering from permanent disability of following category.</p> <p>A. Locomotor or cerebral palsy:</p> <ol style="list-style-type: none"> BL-Both legs affected but not arms. BA-Both arms affected <ol style="list-style-type: none"> Impaired reach Weakness or grip BLA-Both legs and both arms affected OL-One leg affected (right or left) <ol style="list-style-type: none"> Impaired reach Weakness of grip Ataxic <ol style="list-style-type: none"> OA-One arm affected <ol style="list-style-type: none"> Impaired reach Weakness of grip Ataxic BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stood) MW- Muscular weakness and limited physical endurance <p>B. Blindness or Low Vision:</p> <ol style="list-style-type: none"> B-Blind PB-Partially Blind <p>C. Hearing impairment:</p> <ol style="list-style-type: none"> D-Deaf PD-Partially Deaf <p>(Delete the category whichever is not applicable)</p> <ol style="list-style-type: none"> This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period of years months.* Percentage of disability in his/her case is percent. Sh./Smt/Kum meets the following physical requirements for discharge of his/her duties: <table border="0"> <tr> <td>(I) F-can perform work by manipulating with fingers</td> <td>Yes/No</td> </tr> <tr> <td>(ii) PP-can perform work by pulling & pushing</td> <td>Yes/No</td> </tr> <tr> <td>(iii) L-can perform work by lifting</td> <td>Yes/No</td> </tr> <tr> <td>(iv) KC-can perform work by kneeling and crouching</td> <td>Yes/No</td> </tr> <tr> <td>(v) B-can perform work by bending</td> <td>Yes/No</td> </tr> <tr> <td>(vi) S-can perform work by sitting</td> <td>Yes/No</td> </tr> <tr> <td>(vii) ST-can perform work by standing</td> <td>Yes/No</td> </tr> <tr> <td>(viii) W-can perform work by walking</td> <td>Yes/No</td> </tr> <tr> <td>(ix) SE-can perform work by seeing</td> <td>Yes/No</td> </tr> <tr> <td>(x) H-can perform work by hearing/speaking</td> <td>Yes/No</td> </tr> <tr> <td>(xi) RW-can perform work by reading and writing</td> <td>Yes/No</td> </tr> </table> (Dr.) (Dr.) (Dr.) Member Member Chairperson Medical Board Medical Board Medical Board Countersigned by the Medical Superintendent/CMO/Head of Hospital (with seal) 	(I) F-can perform work by manipulating with fingers	Yes/No	(ii) PP-can perform work by pulling & pushing	Yes/No	(iii) L-can perform work by lifting	Yes/No	(iv) KC-can perform work by kneeling and crouching	Yes/No	(v) B-can perform work by bending	Yes/No	(vi) S-can perform work by sitting	Yes/No	(vii) ST-can perform work by standing	Yes/No	(viii) W-can perform work by walking	Yes/No	(ix) SE-can perform work by seeing	Yes/No	(x) H-can perform work by hearing/speaking	Yes/No	(xi) RW-can perform work by reading and writing	Yes/No
(I) F-can perform work by manipulating with fingers	Yes/No																							
(ii) PP-can perform work by pulling & pushing	Yes/No																							
(iii) L-can perform work by lifting	Yes/No																							
(iv) KC-can perform work by kneeling and crouching	Yes/No																							
(v) B-can perform work by bending	Yes/No																							
(vi) S-can perform work by sitting	Yes/No																							
(vii) ST-can perform work by standing	Yes/No																							
(viii) W-can perform work by walking	Yes/No																							
(ix) SE-can perform work by seeing	Yes/No																							
(x) H-can perform work by hearing/speaking	Yes/No																							
(xi) RW-can perform work by reading and writing	Yes/No																							

* Strike out which is not applicable

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण—पत्र का प्रपत्र।
प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती निवासी ग्राम— नगर— जिला— उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/ कुमारी (आश्रित) पुत्र/ पुत्री/ पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपर्याकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान: हस्ताक्षर
दिनांक: पूरा नाम
पदनाम
मुहर
जिलाधिकारी
(सील)

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण—पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या—22/21/1983—कार्मिक—2 दिनांक
28 नवम्बर, 1985

प्रमाण—पत्र के फार्म — 1 से 4
प्रारूप — 1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।
उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण—पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर
नोट : यह प्रमाण—पत्र प्रदेशीय खेल—कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।
प्रारूप — 3
(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र

यह प्रमाण—पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/ (यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट : यह प्रमाण—पत्र नेशनल फेडरेशन/ नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप — 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण—पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट : यह प्रमाण—पत्र प्रदेशीय खेल—कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप — 4

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (क्रीड़ा/ खेल—कूद का नाम) प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट : यह प्रमाण—पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल—कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट : यह प्रमाण—पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल—कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/ निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल—कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये

डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/ निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/ खेल—कूद का नाम) प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण—पत्र डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/ शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट : यह प्रमाण—पत्र निदेशक/ या अतिरिक्त/ संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/ शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

सचिव